भीलवाड़ा में 21 लाख की चंडीगढ़ निर्मित अंग्रेजी शराब जब्त

कंटेनर की आड़ में शराब तस्करी का अनोखा तरीका नाकाम

भीलवाड़ा। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह द्वारा अवैध शराब तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आसीन्द थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नाकेबंदी तोडकर भाग रहे एक गुजरात पासिंग ट्रक कंटेनर को पकड़कर उसमें छुपाकर ले जाई जा रही चंडीगढ़ निर्मित अंग्रेजी शराब की 249 पेटियां बरामद की हैं। जब्त की गई शराब की अनुमानित बाजार कीमत करीब 21 लाख रुपये आंकी गई है।

यह पूरी कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बुधराज खटीक (, सेक्टर सहाडा) के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश सोलंकी (, वृत्त आसीन्द) के निकटतम सुपरविजन में आसीन्द थानाधिकारी श्रद्धा पचौरी (पुलिस निरीक्षक) के नेतृत्व में गठित विशेष टीम द्वारा अंजाम दी गई।

घटनाक्रम के अनुसार, 17 मई 2026 की रात आसीन्द थाने का जाब्ता रात्रिकालीन गश्त पर था। इसी दौरान नेशनल हाईवे 148 पर पुलिस टीम को एक संदिग्ध गुजरात पासिंग ट्रक कंटेनर आता दिखाई दिया। पुलिस ने जब उसे रुकवाने का प्रयास किया, तो चालक ने कंटेनर की रफ्तार और बढ़ा दी और उसे तेज गति से भीम की तरफ भगाने लगा। गश्त कर रहे जाब्ते ने तुरंत इसकी सूचना थानाधिकारी को दी और अतिरिक्त मदद मांगी। सूचना मिलते ही थानाधिकारी श्रद्धा पचौरी मय जाब्ते के संदिग्ध वाहन की तलाश और चेकिंग के लिए नेशनल हाईवे 148 पर पहुंचीं। इसी बीच, पुलिस के लगातार पीछा करने के कारण घबराया चालक कंटेनर को बामणी चौराहा पर सड़क किनारे खड़ा कर कूदकर भाग निकला। गश्त जाब्ते ने चालक का पीछा भी किया, लेकिन रात के घनघोर अंधेरे का फायदा उठाकर वह पास के जंगलों में ओझल होने में सफल रहा। पुलिस ने आस-पास के इलाके में उसकी काफी तलाश की, मगर उसका कोई सुराग नहीं लगा।

थानाधिकारी मय जाब्ते के जब बामणी चौराहे पर खड़ी गुजरात पासिंग कंटेनर के पास पहुंचे और उसकी गहनता से चेकिंग की, तो पुलिस की आंखें फटी रह गईं। कंटेनर के भीतर चंडीगढ़ निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब का जखीरा छुपाया हुआ था। पुलिस ने गिनती की तो कुल 249 पेटियां अवैध अंग्रेजी शराब पाई गईं, जिनकी बाजार में कीमत करीब 21 लाख रुपये है। पुलिस ने शराब और तस्करी में प्रयुक्त ट्रक कंटेनर को जब्त कर अज्ञात चालक के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में इन पुलिसकर्मियों की भूमिका मुख्य रही, जिनमें से कई जवानों का विशेष योगदान रहा जिसमें श्रीमती श्रद्धा पचौरी (पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी आसीन्द) शामिल थे।

पिनान में वन विभाग का चला पीला पंजा

जमींदोज किए अवैध पक्के मकान

अलवर। अलवर के पिनान क्षेत्र के मांझवाड़ गांव में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे पर अपना पीला पंजा चलाया है। विभाग की टीम ने भारी जाब्ते के साथ कोर्ट के आदेशों की पालना में वन भूमि पर बने अवैध पक्के मकानों को ध्वस्त कर कीमती जमीन को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया। हाईकोर्ट जयपुर में दायर याचिका (रमेश चंद बनाम सरकार) में पारित आदेश और भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत न्यायालय सहायक वन संरक्षक राजगढ़ द्वारा (सरकार बनाम खैराती व श्रीकार) जारी बेदखली आदेशों के बाद विभाग ने यह सख्त कदम उठाया। इन आदेशों के तहत खैराती और श्रीकार (पुत्र हरिया राम मीणा) द्वारा वन विभाग की जमीन पर किए गए अवैध पक्के निर्माण को हटाने का फरमान जारी हुआ था। आदेश पर अमल करने के लिए वन विभाग ने एक बड़ी संयुक्त टीम का गठन किया। सहायक वन संरक्षक पुष्पेंद्र सिंह और प्रशांत गौड़ के साथ क्षेत्रीय वन अधिकारी राजगढ़ व लक्ष्मणगढ़ के संयुक्त नेतृत्व में टीम मांझवाड़ गांव पहुंची। विरोध की आशंका को देखते हुए टीम के साथ भारी संख्या में वनकर्मी मौजूद थे। मौके पर पहुंचते ही बिना कोई वक्त गंवाए जेसीबी मशीन से पक्के मकानों और बाउंड्रीवॉल को तोड़ना शुरू कर दिया गया। देखते ही देखते करीब 0.0276 हेक्टेयर (लगभग भारी-भरकम रकबा) कीमती वन भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया।

कीमती जमीन को पूरी तरह अतिक्रमण से मुक्त कराया।

भीषण सड़क हादस, ओवरटेक के चक्कर में पिकअप और कार की भिड़ंत

भीलवाड़ा। नेशनल हाईवे-758 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के छह से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब परिवार एक बच्चे के मुंडन संस्कार कार्यक्रम से खुशियां मनाकर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में उनकी कार और एक पिकअप के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई।

- **हादसा उस समय हुआ जब परिवार एक बच्चे के मुंडन संस्कार कार्यक्रम से खुशियां मनाकर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में उनकी कार और एक पिकअप के बीच भिड़ंत हो गई**

हादसे में घायल हुए लोगों का अस्पताल में उपचार जारी।

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार, यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 758 पर वाहनों द्वारा एक-दूसरे को ओवरटेक करने के प्रयास के दौरान हुआ। रफ्तार तेज होने के कारण दोनों वाहन नियंत्रण खो बैठे और सीधे सामने से टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षितग्रस्त हो गए। हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत नजदीकी बिगोद अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद, 5 लोगों की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें तुरंत भीलवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। अन्य मामूली घायलों को बिगोद अस्पताल में ही प्राथमिक उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गई। भीषण भिड़ंत के बाद दोनों क्षितग्रस्त वाहन बीच सड़क पर ही फंस गए, जिससे नेशनल हाईवे-758 पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू रूप से बहाल करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

नगर निगम ने शहर में 400 नए डस्टबिन लगाए

जोधपुर । जोधपुर नगर निगम ने शहर को और साफ-सुथरा व आकर्षक बनाने के उद्देश्य से प्रमुख सड़कों व पर्यटन स्थलों पर 400 नए ट्विन डस्टबिन लगाए हैं। यह कदम स्वच्छ भारत मिशन की नई गाइडलाइंस के तहत उठाया गया है, जिनमें कहा गया है कि व्यावसायिक एवं पर्यटक क्षेत्रों में हर 50 से 100 मीटर पर डस्टबिन होना चाहिए। नगर निगम आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि पिछले एक महीने में कुल 400 प्लास्टिक के ट्विन डस्टबिन लगाए गए हैं। इन डस्टबिनों को गीला और सूखा कचरा अलग-अलग संठाहित करने के लिए रंगों से चिह्नित किया गया है। हरे डस्टबिन में गीला कचरा (फल-सब्जी के छिलके, बचा व खराब हुआ खाना) और नीले डिस्टबिन में सूखा कचरा फेंकने की व्यवस्था की गई है।आयुक्त राहुल जैन ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें, जिससे कि कचरे का सेग्रीगेशन आसानी से हो सके और रीसाइकिलिंग की प्रक्रिया प्रभावी बन सके। उन्होंने कहा, हमने यह कदम मुख्य बाजारों और पर्यटन स्थलों पर अवैध डंपिंग की समस्या को खत्म करने और साफ-सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया है।

1.5 किलो से ज्यादा अफीम के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

भीलवाड़ा । जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव के आदेशानुसार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कोटडी थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मोटरसाइकिल के चेंबर में छुपाकर ले जाई जा रही 1.561 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। यही नहीं, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अफीम सप्लाई करने वाले मुख्य सप्लायर को भी मध्य प्रदेश से दबोच लिया है।यह पूरी कार्रवाई शाहपुरा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य के निर्देशन और कोटड़ी वृताधिकारी सुरेश डाबरिया के निकटतम सुपरविजन में कोटडी थानाधिकारी महावीर प्रसाद के नेतृत्व में गठित विशेष टीम द्वारा की गई।

- **यह पूरी कार्रवाई शाहपुरा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य के निर्देशन और कोटड़ी वृताधिकारी सुरेश डाबरिया के निकटतम सुपरविजन में गठित विशेष टीम द्वारा की गई।**

घटनाक्रम के अनुसार, 17 मार्च 2026 को थानाधिकारी महावीर प्रसाद के निर्देशन में गठित विशेष टीम के कांस्टेबल अर्जुन राम (99) और हनुमान (1934) गश्त पर थे। इस दौरान सवाईपुर की तरफ से आ रही एक संदिग्ध मोटरसाइकिल (रजिस्ट्रेशन नंबर: 44 884) को रोककर पूछताछ की गई। संदेह होने पर जब बाइक की गहनता से तलाशी ली गई, तो पुलिस टीम के होश उड़ गए। तस्करों ने मोटरसाइकिल के चेंबर के भीतर 1.561 किलोग्राम अवैध अफीम छुपा रखी थी। पुलिस ने मौके से अवैध अफीम और तस्करी में प्रयुक्त एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल को जब्त कर दो आरोपियों शंभु गुर्जर (40 वर्ष) पिता किष्णा गुर्जर, निवासी बखतुनी, थाना मनासा, जिला नीमच (मध्य प्रदेश) सोपाल गुर्जर (41 वर्ष) पिता नाथू गुर्जर, निवासी बखतुनी, थाना मनासा, जिला नीमच (मध्य प्रदेश) पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की, तो उन्होंने खुलासा किया कि यह अफीम उन्होंने निर्मल कुमार खाती नामक व्यक्ति से खरीदी थी। वारदात के बाद से ही आरोपी निर्मल कुमार लगातार अपने ठिकाने से फरार चल रहा था। थानाधिकारी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मध्य प्रदेश में दबिश दी और अथक प्रयासों के बाद आरोपी निर्मल कुमार खाती (34 वर्ष) पिता रामचंद्र खाती (निवासी: वार्ड संख्या 18, कन्जार्डा, थाना मनासा, जिला नीमच, म.प्र.) को डिटेन किया। पूछताछ में अफीम की बिक्री की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस सप्लायर से अफीम की खरीद-फरोख्त के नेटवर्क को लेकर गहन अनुसंधान कर रही है। इस पूरी सफलता में कोटड़ी पुलिस की इस विशेष टीम की अहम भूमिका रही, जिसमें कांस्टेबल मोतीराम और अर्जुन राम का विशेष योगदान रहा।

पचास से 75 हजार तक के बिल आने से उपभोक्ता परेशान

छबड़ा (निसं)। बिजली चोरी, बिलिंग में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर अब उपभोक्ताओं के लिए नई मुसीबत बनते जा रहे हैं। कई उपभोक्ताओं को 50 हजार से 75 हजार तक के बिजली बिल थमाए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ता परेशान हैं। इतनी भारी-भरकम राशि का बिल देखकर उपभोक्ताओ के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत निगम कार्यालय का रुख किया। निपानिया निवासीशिवम गौतम ने बताया कि उनके घर पर कुछ महीने पूर्व स्मार्ट मीटर लगाया गया था। अब जब पहली बार बिल जारी हुआ है, तो वह लगभग 76 हजार 46 रुपये का है। मुकेश नागर का कहना है कि वह अपने सभी पुराने बिल समय पर चुका चुके हैं, इसके बावजूद 61 हजार रुपये का बिल आना बेहद चौंकाने वाला है। इसी प्रकार,सालगराम कुशवाह का 55 हजार रुपये तो चौथमल नागर का 31 हजार रुपये का बिल आने पर हक्के-बक्के रह गए। उपभोक्ताओं ने निगम के अधिकारियों से इस समस्या से अवगत करवाते हुए उक्त गंभीर समस्या का शीघ्र समाधान किये जाने की मांग की। उपभोक्ताओं ने बताया कि इससे पूर्व लगभग 1000-1500 तक के बिल आते हैं।एडवोकेट शिवम गौतम का कहना है कि उक्त मामले में सम्बंधित लाइनमैन की लापरवाही मुख्य कारण रही है। क्योंकि लाइनमैन द्वारा मीटर रीडिंग के अनुसार बिल जारी नही कर स्वयं के हिसाब से बिल जारी किए गए।

प्रोपर्टी कारोबारी ने लगाया 30.50 लाख की धोखाधड़ी का आरोप

जोधपुर, (कासं)। शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 21 ई में रहने वाले एक प्रोपर्टी कारोबारी से 30. 50 लाख की धोखाधड़ी का प्रकरण्ण सामने आया है। इस संबंध में पुलिस में मामला दर्ज हुआ है।

कोर्ट से मिले इस्तगासे पर पुलिस ने एक महिला और अधिवक्ता को नामजद कर अब जांच आरंभ की है। दुकान के सौदे के नाम पर यह धोखाधड़ी करना बताया गया है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने बताया कि सेक्टर 21-ई निवासी गणेशराम की तरफ से मामला दर्ज कराया गया। इसमें बताया कि उसने सरदारपुरा स्थित एक दुकान का सौदा अमीन नामक व्यक्ति के लिए कराया था। अप्रैल 2025 में 40 लाख रुपए में सौदा तय हुआ और अमीन ने 10 लाख रुपए एडवांस दिए थे। दुकान मालिक सरोज हमेशा के लिए कलकत्ता शिफ्ट हो रही थीं, इसलिए उन्हें बाकी पैसे जल्द चाहिए थे।

- **महिला और अन्य पर फ्रॉड का केस दर्ज**

अमीन के पास रकम नहीं थी, तो उसने गणेशराम को विश्वास में लेकर अपनी तरफ से 30 लाख रुपए चुकाने को कहा और एक महीने में लौटाने का वादा किया। अमीन पर भरोसा कर गणेशराम ने 5 मई 2025 को एसबीआई से 30 लाख निकालकर एक अधिवक्ता व अमीन की मौजूदगी में सरोज को दे दिए। इसके बाद 500 रुपए के स्टाम्प पर दो अलग-अलग एठीमेंट 40 लाख और 10 लाख के बनाए गए। इन पर सरोज के पति और दामाद ने साखदार के रूप में साइन किए और सोसाइटी से नाम हस्तांतरण का प्रार्थना पत्र भी तैयार कर लिया गया।

रिपोर्ट में बताया कि दुकान की चाबी और एठीमेंट सुरक्षा के तौर पर मध्यस्थता कर रहे अधिवक्ता के पास रखे गए थे। तय हुआ था कि अमीन द्वारा 30 लाख रुपए लौटाने के बाद दुकान का कब्जा उसे सौंपा जाएगा। अगस्त 2025 में सरोज ने किराया मांगा, तो अमीन के कहने पर गणेशराम ने 11 अगस्त को इंडियन बैंक में सरोज के खाते में 50 हजार रुपये और जमा करवा दिए। अमीन ने 30.50 लाख रुपये एक साथ लौटाने का झांसा दिया।

इसके बाद अधिवक्ता और अमीन ने साजिश रची और धोखाधड़ी करते हुए दुकान भाड़ा चिट्ठी के जरिए किसी तीसरे व्यक्ति को सौंप दी। गणेशराम जब दुकान पर गए तो वहां किसी और को व्यापार करते देखकर ठगी का खुलासा हुआ।

प्रसूताओं के इलाज के बारे में जानकारी ली

कोटा, (निसं)। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने मंगलवार को न्यू मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक एवं नवीन चिकित्सालय का निरीक्षण किया।

संभागीय आयुक्त ने मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन में रेजिडेंट चिकित्सकों से वार्ता कर उनका पक्ष सुना तथा उनकी सुरक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए आश्वस्त किया तथा अपराधियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को संविदा सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। अग्रवाल ने सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में भर्ती 6 प्रसूताओं के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड एवं चल रहे इलाज के बारे में डॉक्टरों से जानकारी ली तथा प्रसूताओं के परिजनों से मुलाकात की। संभागीय आयुक्त ने न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचकर संविदा गार्ड के रिकॉर्ड्स चेक किए। निर्धारित रिकॉर्ड्स के अनुसार सुबह की पारी में 45 सुरक्षा गार्ड तथा दोपहर 2 बजे से 25 सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था चिकित्सालय में होनी थी। प्राचार्य मेडिकल कॉलेज, अधीक्षक एनएमसीएच एवं संविदा कंपनी सुपरवाइजर की उपस्थिति में सुरक्षा गार्डस् का भौतिक सत्यापन किया गया। जिसमें कई कमियां पाई गई।

हाईकोर्ट ने पत्नी की तलाक याचिका स्वीकार करते हुए फैमिली कोर्ट का फैसला पलटा

जोधपुर, (कासं)।राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने बीकानेर के एक मामले में पत्नी की तलाक याचिका स्वीकार करते हुए फैमिली कोर्ट का फैसला पलट दिया है।

- **हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ का बीकानेर के एक मामले में फैसला**

जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस सुनील बेनीवाल की खंडपीठ ने आटा-साटा प्रथा को कानूनी और नैतिक रूप से दिवालिया बताते हुए इसे इंसान की जिंदगी का अमानवीय सौदा करार दिया।

अपीलकर्ता का विवाह 31 मार्च 2016 को बीकानेर में हिंदू रीति-रिवाजों से हुआ था। उसी दिन आटा-साटा प्रथा के तहत उसके भाई के साथ पति की नाबालिग बहन का भी विवाह कर दिया गया।

बालिग होने पर लड़की ने इस बाल विवाह को मानने से इनकार कर दिया। उसने ससूराल जाने से मना कर दिया। यहीं से दोनों परिवारों में विवाद शुरू हो गया।

अपीलकर्ता का आरोप है कि क्रूरता के चलते 19 मार्च 2020 को उसे नाबालिग बेटी के साथ घर से निकाल दिया गया।

इसके बाद उसने पति व ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना सहित अलग-अलग अपराध के आरोपों पर एफआईआर दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की।

वहीं, नयाशहर पुलिस थाने में पति की शिकायत पर अपीलकर्ता के पिता और भाई को शांति भंग के तहत पाबंद भी किया गया। इन्हीं विवादों के बीच 24 सितंबर 2025 को बीकानेर फैमिली कोर्ट ने अंजलि की तलाक याचिका खारिज कर दी थी।

अपीलकर्ता पत्नी की ओर से हाईकोर्ट में तर्क दिया गया कि वह दहेज के लिए लगातार शारीरिक और मानसिक क्रूरता का शिकार हुई है। इसके उलट, पति का तर्क था कि पत्नी ने स्वेच्छा से घर छोड़ा है और यह सब उसकी बहन पूजा के मुकलावा से इनकार करने का नतीजा है।

पति के अनुसार, पत्नी द्वारा भरण-पोषण और अन्य आपराधिक मामले दर्ज कराना सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति थी, जिसे फैमिली कोर्ट ने सही मानकर तलाक याचिका खारिज की थी।

हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के निष्कर्षों को तार्किक रूप से गलत मानते हुए कहा कि कोर्ट ने आटा-साटा के बाहरी पारिवारिक विवाद और पति-पत्नी के बीच की वैवाहिक क्रूरता को आपस में मिलाने की गंभीर भूल की है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पत्नी द्वारा भरण-पोषण के लिए याचिका लगाना पति पर अनुचित दबाव नहीं, बल्कि एक पीड़ित पत्नी का अपना जीवन-निर्वाह सुरक्षित करने के लिए उठाया गया रक्षात्मक कदम है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट के सवाल पर पत्नी के वकील ने स्पष्ट किया कि वह मानसिक शांति के लिए पति से किसी भी तरह का पिछला, वर्तमान या भविष्य का गुजारा भत्ता नहीं लेगी।

इसे रिकॉर्ड पर लेते हुए कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी। अदालत ने यह भी साफ किया कि इस तलाक का असर दोनों पक्षों के बीच चल रहे आपराधिक मुकदमों या बच्चे की कस्टडी के मामलों पर नहीं पड़ेगा, वे स्वतंत्र रूप से चलेंगे।

फैसले में बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 का हवाला देते हुए कोर्ट ने आटा-साटा पर सख्त टिप्पणी की। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जब विवाहों को परिवारों के बीच पारस्परिक आदान-प्रदान के रूप में तय किया जाता है और उनमें से कोई एक नाबालिग हो, तो यह प्रथा एक ऐसा बलपूर्वक सामाजिक तंत्र बन जाती है जिसमें बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों को वैवाहिक बार्टर (सौदेबाजी की वस्तु) के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह एक पारस्परिक आदान-प्रदान से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसमें नाबालिगों को परिवारों के बीच सौदेबाजी के साधन के रूप में माना जाता है।

खंडपीठ ने आगे कहा कि यह प्रथा वैवाहिक बंधक जैसी है, जहां एक बेटी का जीवन दूसरी बेटी की आज्ञाकारिता पर निर्भर कर दिया जाता है। कोई भी प्रथा कानून से ऊपर नहीं है।

सोगरिया रेलवे स्टेशन पर पार्किंग सुविधा प्रारंभ दरें निर्धारित

कोटा, (निसं)। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा सोगरिया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा हेतु पार्किंग सुविधा प्रारंभ कर दी गई है, यह सुविधा आगामी तीन वर्षों तक संचालित रहेगी। इससे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों एवं उनके परिजनों को वाहन खड़ा करने में सुविधा एवं व्यवस्था का लाभ मिलेगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि इस पार्किंग में दोपहिया एवं चौपहिया दोनों प्रकार के वाहनों की व्यवस्था की गई है। निर्धारित दरों के अनुसार 6 घंटे तक दोपहिया वाहन के लिए 10 रूपये तथा चौपहिया वाहन के लिए 20 रूपये शुल्क देय होगा। 24 घंटे अथवा पूरे दिन के लिए दोपहिया वाहन हेतु 20 रूपये तथा चौपहिया वाहन हेतु 60 रूपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने बताया कि स्टेशन पर यात्रियों को छोड़ने अथवा लेने आने वाले वाहनों के लिए ड्रॉप एंड गो सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इस सुविधा के अंतर्गत 10 मिनट तक किसी भी वाहन से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

10 से 20 मिनट की अवधि के लिए दोपहिया वाहन पर 20 रूपये तथा चौपहिया वाहन पर 40 शुल्क देय होगा। नियमित यात्रियों की सुविधा हेतु मासिक पास की व्यवस्था भी की गई है, जो केवल दोपहिया वाहनों के लिए उपलब्ध है। सामान्य दैनिक यात्रियों के लिए मासिक पास शुल्क 400 निर्धारित है।

बनास नदी स्थित नेगड़िया पुलिया पर डूबे मां-बेटे, मां का शव मिला, बेटे की तलाश

दूसरे शव की तलाशी के लिए टोंक से सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची

टोंक। देवली थाना क्षेत्र में बनास नदी में सोमवार देर सांय एक मां-बेटे के डूबने की सूचना के बाद पुलिस ने जांच प्रारम्भ कर मंगलवार को एसडीआरएफ टीम के रेस्क्यू के बाद महिला का शव बरामद कर लिया गया, जबकि बेटे की तलाश अब भी जारी है।

जानकारी के अनुसार सोमवार शाम राहगीरों ने नेगड़िया पुलिया पर चप्पलें और पासपोर्ट साइज फोटो रखे हुए देखे, इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। जिसके बाद देवली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। इस दौरान पूछताछ पर पुलिया पर रखे फोटो की पहचान टगरा कॉलोनी निवासी मनफूली देवी और उनके पुत्र शंकर नाथ के रूप में हुई। यह कॉलोनी घटना स्थाल से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर है। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से तलाश शुरू की, शाम अंधेरा होने के चलते तलाशी अभियान रोकना पड़ा। इसके बाद मंगलवार सुबह अजमेर से एसडीआरएफ की टीम पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू किया तथ सुबह 9.30 पर महिला का शव नदी से बाहर निकाला गया। दूसरे शव की तलाशी के लिए टोंक से सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची है।

- **अजमेर से एसडीआरएफ की टीम पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू किया**

देवली थानाधिकारी दौलत राम ने बताया कि एसडीआरएफ टीम और सिविल डिफेंस की टीम बनास नदी में तलाश कर रही है। मां का शव नदी से बाहर निकाल लिया है और बेटे की तलाश जारी है। दोनों के शव मिलने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।

बनास नदी में एक मां-बेटे के डूबने की सूचना के बाद पुलिस ने जांच प्रारम्भ की।